संख्या-22/2017/क0नि0-4-1554/11-2017-2(6)/1988 टी.सी.

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन, अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 20, दिसम्बर, 2017

विषयः- वाणिज्य कर कार्यालय हसनपुर, जनपद-अमरोहा के अवशेष किराए के भुगतान की स्वीकृत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्पत्ति/किराया/भ0प0-मुरादाबाद- 78/2017-18/357/वाणिज्य कर, दिनांक 04-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भवन का दिनांक 01.10.2011 से 31.05.2017 तक का अवशेष किराया कुल रु0-5,49,931.00 (रुपया पाॅच लाख उन्चास हजार नौ सौ इक्तीस मात्र) श्री मुकेश चन्द्र एवं पुनीत एच0यू0एफ0 कर्ता-मुकेश चन्द्र के नाम से भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल, उ0प्र0 एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग के आय व्ययक की अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अंतर्गत मद संख्या-17 किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3- भवन का जलकर व जल निकासी कर विभाग द्वारा देय होगा एवं अन्य सभी दायित्व भवन स्वामी के होगं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-22/2017/क0नि0-4-1554(1)/11-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, अमरोहा।
3. वित्त नियंत्रक/ज्वाइंट कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी अमरोहा।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
5. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।